

उत्तर प्रदेश सरकार  
गृह(पुलिस) अनुभाग-2  
संख्या:-1349/छ:-पु0-2-2015-1100(126)/2012  
दिनांक: 14 अगस्त, 2015  
अधिसूचना

संख्या:-807/छ:-पु0-2-2016-1100(126)/2012  
लखनऊ: दिनांक: 16मार्च, 2016  
प्रथम संशोधन नियमावली, 2016

उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-1, सन् 1904) की धारा-21 के साथ पठित संयुक्त प्रान्तीय प्रादेशिक आर्म्ड कान्स्टेबुलरी ऐक्ट, 1948 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 40, सन् 1948) की धारा 15 के अधीन शक्ति और इस निमित्त अन्य समस्त समर्थकारी शक्तियों का प्रयोग और समय-समय पर यथा संशोधित उत्तर प्रदेश प्रादेशिक आर्म्ड कान्स्टेबुलरी अधीनस्थ अधिकारी सेवा नियमावली, 2008 का अधिक्रमण करके राज्यपाल प्रादेशिक आर्म्ड कान्स्टेबुलरी के आरक्षियों, मुख्य आरक्षियों, उप-निरीक्षकों, सशस्त्र पुलिस/प्लाटून कमाण्डरों, निरीक्षक सशस्त्र पुलिस के चयन, प्रोन्नति, प्रशिक्षण, नियुक्ति, ज्येष्ठता का अवधारण और स्थायीकरण आदि को विनियमित करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:-

**उत्तर प्रदेश प्रादेशिक आर्म्ड कान्स्टेबुलरी अधीनस्थ अधिकारी सेवा नियमावली, 2015**

**भाग-एक सामान्य**

### **1.संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ**

(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश प्रादेशिक आर्म्ड कान्स्टेबुलरी अधीनस्थ अधिकारी सेवा नियमावली, 2015 कही जायेगी।

(2) यह गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से प्रवृत्त होगी।

**2.सेवा की प्रास्थिति-** उत्तर प्रदेश प्रादेशिक आर्म्ड कान्स्टेबुलरी अधीनस्थ अधिकारी सेवा ऐसी सेवा है, जिसमें समूह "ग" के पद समाविष्ट हैं।

**3.परिभाषायें-**जब तक विषय या संदर्भ में कोई बात प्रतिकूल न हों, इस नियमावली में,-

(क) 'अधिनियम' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन-जातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1994 से है;

(ख) निरीक्षक सशस्त्र पुलिस और उप निरीक्षक सशस्त्र पुलिस/प्लाटून कमाण्डर के मामलों में 'नियुक्ति प्राधिकारी' का तात्पर्य पुलिस उपमहानिरीक्षक से है और मुख्य आरक्षी, प्रादेशिक आर्म्ड कान्स्टेबुलरी और आरक्षी, प्रादेशिक आर्म्ड कान्स्टेबुलरी के मामलों में यथास्थिति कमाण्डेन्ट/पुलिस अधीक्षक से है;

(ग) "बोर्ड" का तात्पर्य इस सम्बन्ध में समय-समय पर जारी शासनादेशों के अनुसार स्थापित उत्तर प्रदेश पुलिस सेवा भर्ती तथा पदोन्नति बोर्ड से है;

(घ) "भारत का नागरिक" का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो भारत का संविधान के भाग-दो के अधीन भारत का नागरिक हो या समझा जाये;

(ङ.) 'पूर्ववर्ती नियमावली' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश प्रादेशिक आर्म्ड कान्स्टेबुलरी अधीनस्थ अधिकारी सेवा नियमावली, 2008 से है;

(च) 'राज्यपाल' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश के राज्यपाल से है;

- (छ) 'सरकार' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश की सरकार से है;
- (ज) 'विभागाध्यक्ष' का तात्पर्य, पुलिस महानिदेशक/अपर पुलिस महानिदेशक, प्रादेशिक आर्म्ड कान्स्टेबुलरी, उत्तर प्रदेश से है।
- (झ) 'नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गों' का तात्पर्य समय-समय पर यथासंशोधित अधिनियम की अनुसूची-एक में विनिर्दिष्ट नागरिकों के पिछड़े वर्गों से है;
- (ञ) 'पी0ए0सी0 मुख्यालय' का तात्पर्य यथास्थिति, पुलिस महानिदेशक, प्रादेशिक आर्म्ड कान्स्टेबुलरी, उत्तर प्रदेश या अपर पुलिस महानिदेशक, प्रादेशिक आर्म्ड कान्स्टेबुलरी, उत्तर प्रदेश के अधीन चल रहे मुख्यालयों से है;
- (ट) 'निरीक्षक सशस्त्र पुलिस' का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जिसे इस नियमावली के अधीन नियुक्त किया गया है व जिसे उस समय विद्यमान रेजीमेन्ट के अन्तर्गत पुलिस विभाग की किसी इकाई सहित प्रादेशिक आर्म्ड कान्स्टेबुलरी में समान पद पर तैनात या स्थानान्तरित किया जा सकता है। इन्हें प्रादेशिक आर्म्ड कान्स्टेबुलरी में कम्पनी कमाण्डर, प्रादेशिक आर्म्ड कान्स्टेबुलरी में क्वार्टर मास्टर, जिला प्रशिक्षण संस्थान, जी0आर0पी0 और अन्य इकाइयों में निरीक्षक सशस्त्र पुलिस/रिजर्व इंस्पेक्टर और जिलों में यातायात निरीक्षक के नामों से पदाभिहित किया जा सकता है;
- (ठ) 'उप निरीक्षक सशस्त्र पुलिस' का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जिसे इस नियमावली के अधीन नियुक्त किया गया है व जिसे उस समय विद्यमान रेजीमेन्ट के अन्तर्गत पुलिस विभाग की किसी इकाई सहित प्रादेशिक आर्म्ड कान्स्टेबुलरी में समान पद पर तैनात या स्थानान्तरित किया जा सकता है, इन्हें प्रादेशिक आर्म्ड कान्स्टेबुलरी में प्लाटून कमाण्डर, जिला प्रशिक्षण संस्थान, जी0आर0पी0 और अन्य इकाइयों में उप निरीक्षक सशस्त्र पुलिस और जिलों में यातायात उप-निरीक्षक के नामों से पदाभिहित किया जा सकता है;
- (ड) 'चयन समिति' का तात्पर्य सेवा में पद पर नियुक्ति के लिये अभ्यर्थियों के चयन हेतु बोर्ड द्वारा गठित की गयी 'चयन समिति' से है;
- (ढ) 'प्रादेशिक आर्म्ड कान्स्टेबुलरी के अधीनस्थ अधिकारी' का तात्पर्य प्रादेशिक आर्म्ड कान्स्टेबुलरी, अन्य इकाइयों, जिला पुलिस की सशस्त्र पुलिस शाखा में तैनात या प्रतिनियुक्ति पर आरक्षी, प्रादेशिक आर्म्ड कान्स्टेबुलरी, मुख्य आरक्षी प्रादेशिक आर्म्ड कान्स्टेबुलरी, उप निरीक्षक सशस्त्र पुलिस/प्लाटून कमाण्डर, निरीक्षक सशस्त्र पुलिस के पद पर इस नियमावली या इस नियमावली के प्रारम्भ होने के पूर्व आदेशों के अधीन मौलिक रूप से नियुक्त किसी व्यक्ति से है;
- (ण) 'मौलिक नियुक्ति' का तात्पर्य सेवा के संवर्ग में किसी पद पर ऐसी नियुक्ति से है, जो तदर्थ नियुक्ति न हो और पूर्ववर्ती नियमावली के अनुसार चयन के पश्चात् की गयी हो;
- (त) 'भर्ती का वर्ष' का तात्पर्य किसी कैलेण्डर वर्ष की पहली जुलाई से प्रारम्भ होने वाली 12 मास की अवधि से है।

### भाग-दो-संवर्ग

#### 4.सेवा का संवर्ग

(1) प्रादेशिक आर्म्ड कान्स्टेबुलरी के अधीनस्थ अधिकारियों के संवर्ग की सदस्य संख्या और उसमें प्रत्येक श्रेणी के पदों की संख्या उतनी होगी जितनी सरकार द्वारा समय-समय पर अवधारित की जाय।

(2) सेवा की सदस्य संख्या और उसमें प्रत्येक श्रेणी के पदों की संख्या जब तक कि उप नियम (1) के अधीन उसे परिवर्तित करने का आदेश पारित न हो, निम्नवत होगी:-

क्रमसंख्या	पद का नाम	अस्थायी	स्थायी	योग
------------	-----------	---------	--------	-----

(क)	निरीक्षक आर्म्ड पुलिस			
1.	पीएसी में दलनायक/शिविरपाल	84	222	306
2.	जनपद में इन्स्पेक्टर सशस्त्र पुलिस	0	76	76
3.	प्रशिक्षण संस्थान व अन्य इकाइयों में इन्स्पेक्टर सशस्त्र पुलिस	0	26	26
4.	जिलों में यातायात इन्स्पेक्टर	5	4	9
5.	सुरक्षा शाखा	29	0	29
	<b>योग</b>	<b>118</b>	<b>328</b>	<b>446</b>
(ख)	सब-इन्स्पेक्टर सशस्त्र पुलिस			
1.	पीएसी में प्लाटून कमाण्डर	263	652	915
2.	सशस्त्र पुलिस में सब इन्स्पेक्टर	28	217	245
3.	जी0आर0पी0	7	38	45
4.	प्रशिक्षण निदेशालय उ0प्र0 लखनऊ	0	74	74
5.	एस0टी0एफ0 लखनऊ	0	1	1
6.	केन्द्रीय भण्डार, कानपुर	0	6	6
7.	यातायात उपनिरीक्षक	86	4	90
8.	सुरक्षा शाखा	0	115	115
9.	केन्द्रीय रिजर्व सीतापुर	1	0	1
	<b>योग</b>	<b>500</b>	<b>992</b>	<b>1492</b>
(ग)	मुख्य आरक्षी प्रादेशिक आर्म्ड कान्स्टेबुलरी			
1.	पीएसी	1811	4372	6183
2.	सुरक्षा शाखा	114	0	114
	<b>योग</b>	<b>1955</b>	<b>4372</b>	<b>6327</b>
(घ)	आरक्षी प्रादेशिक आर्म्ड कान्स्टेबुलरी			
1.	पीएसी	3887	19115	27002
2.	सुरक्षा शाखा	303	0	303
	<b>योग</b>	<b>8190</b>	<b>19115</b>	<b>27305</b>

परन्तु यह कि:-

(एक) विभागाध्यक्ष कुल स्वीकृत नियतन के अन्तर्गत विभिन्न इकाइयों के पदों की संख्या को पुनः अवधारित कर सकता है;

(दो) नियुक्ति प्राधिकारी किसी रिक्त पद को बिना भरे हुये छोड़ सकते हैं या राज्यपाल उसे प्रास्थगित रख सकते हैं जिससे कोई व्यक्ति प्रतिकर का हकदार नहीं होगा;

(तीन) राज्यपाल ऐसे अतिरिक्त स्थाई या अस्थायी पदों का सृजन कर सकते हैं जिन्हें वह उचित समझें।

**भाग-तीन-भर्ती**

**5.भर्ती का स्रोत-**सेवा में विभिन्न श्रेणियों के पदों पर भर्ती निम्नलिखित स्रोतों से इस शर्त के अधीन रहते हुए की जायेगी कि केवल ऐसे पुरुष अभ्यर्थी, जो शारीरिक रूप से विकलांग नहीं है, विभिन्न श्रेणियों के पदों पर सीधी भर्ती के लिए पात्र होंगे।

(क) आरक्षी प्रादेशिक आर्म्ड कान्स्टेबुलरी- आरक्षी प्रादेशिक आर्म्ड कान्स्टेबुलरी के शत प्रतिशत पदों को सीधी भर्ती द्वारा बोर्ड के माध्यम से भरा जायेगा।

**टिप्पणी-** सेवाकाल में प्रादेशिक आर्म्ड कान्स्टेबुलरी के दिवंगत कर्मचारियों के ऐसे आश्रित जो प्रादेशिक आर्म्ड कान्स्टेबुलरी के आरक्षी के पद पर मृतक आश्रित के रूप में सीधी भर्ती के लिए प्रार्थनापत्र देते हैं, उनकी भर्ती बोर्ड द्वारा, सरकार द्वारा तय की गई नीति के अनुसार की जायेगी।

(ख) **मुख्य आरक्षी प्रादेशिक आर्म्ड कान्स्टेबुलरी**

(एक) नियम 4 के उप नियम(2) के खण्ड-ग के अधीन मुख्य आरक्षी प्रादेशिक आर्म्ड कान्स्टेबुलरी के स्वीकृत पदों की कुल संख्या के सौ प्रतिशत पद अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर बोर्ड द्वारा पदोन्नति के माध्यम से मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे आरक्षियों, प्रादेशिक आर्म्ड कान्स्टेबुलरी, में से भरे जायेगे, जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को परिवीक्षा अवधि को सम्मिलित करते हुए इस रूप में सात वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो।

(दो) उप खण्ड(एक) के अधीन मुख्य आरक्षी, प्रादेशिक आर्म्ड कान्स्टेबुलरी के पद पर पदोन्नति के लिए मुख्य आरक्षी, प्रादेशिक आर्म्ड कान्स्टेबुलरी के निःसंवर्गीय पदों पर पदोन्नत ऐसे आरक्षी प्रादेशिक आर्म्ड कान्स्टेबुलरी भी पात्र होंगे, जो अर्हताओं को पूरा करते हो,

(ग) सब-इंस्पेक्टर सशस्त्र पुलिस/प्लाटून कमाण्डर

(एक) नियम-4 के उप नियम (2) के खण्ड (ख) के अधीन सब-इंस्पेक्टर सशस्त्र पुलिस/प्लाटून कमाण्डर के स्वीकृत पदों की कुल संख्या के 50 प्रतिशत पद सीधी भर्ती द्वारा बोर्ड के माध्यम से भरे जायेंगे।

**टिप्पणी-** सेवाकाल में प्रादेशिक आर्म्ड कान्स्टेबुलरी के दिवंगत कर्मचारियों के ऐसे आश्रितों, जो प्रादेशिक आर्म्ड कान्स्टेबुलरी के प्लाटून कमाण्डर के पद पर मृतक आश्रित के रूप में सीधी भर्ती के लिए प्रार्थनापत्र देते हैं, की भर्ती सरकार द्वारा तय की गई नीति के अनुसार बोर्ड द्वारा की जायेगी:

परन्तु यह कि प्रत्येक वर्ष ऐसे पद, प्लाटून कमाण्डर के पूर्व स्वीकृत पदों में उत्पन्न होने वाली रिक्तियों के सापेक्ष सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले पदों के 05 प्रतिशत से अधिक नहीं होंगे।

(दो) नियम-4 के उप नियम (2) के खण्ड (ख) के अधीन सब-इंस्पेक्टर सशस्त्र पुलिस/प्लाटून कमाण्डर के स्वीकृत पदों की कुल संख्या के 50 प्रतिशत पद अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर पदोन्नति के माध्यम से भर्ती द्वारा मौलिक रूप से नियुक्त प्रादेशिक आर्म्ड कान्स्टेबुलरी की विभिन्न बटालियनों, जिला पुलिस और पुलिस विभाग की अन्य शाखाओं के ऐसे मुख्य आरक्षी सशस्त्र पुलिस तथा मुख्य आरक्षी प्रादेशिक आर्म्ड कान्स्टेबुलरी में से भरे जायेंगे, जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को, इस रूप में परिवीक्षा अवधि सहित 03 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो।

(तीन) उप खण्ड (दो) के अधीन सब-इंस्पेक्टर सशस्त्र पुलिस/प्लाटून कमाण्डर के पद पर पदोन्नति के लिए उपनिरीक्षक सशस्त्र पुलिस/प्लाटून कमाण्डर के निःसंवर्गीय पदों पर पदोन्नत ऐसे मुख्य आरक्षी सशस्त्र पुलिस/प्रादेशिक आर्म्ड कान्स्टेबुलरी भी पात्र होंगे, जो अर्हताओं को पूरा करते हों।

**टिप्पणी-** शारीरिक दक्षता परीक्षण, जो अर्हकारी प्रकृति का होगा, में अर्हता प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों पर उप निरीक्षक सशस्त्र पुलिस के पद पर पदोन्नति के लिए विचार किया जायेगा।

(घ) **इंस्पेक्टर सशस्त्र पुलिस**

(एक) नियम 4 के उप नियम (2) के खण्ड (क) के अधीन इंस्पेक्टर सशस्त्र पुलिस के स्वीकृत पदों की कुल संख्या के 100 प्रतिशत पद अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर बोर्ड द्वारा पदोन्नति के

माध्यम से भर्ती द्वारा मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे सब इंस्पेक्टरों, सशस्त्र पुलिस/प्लाटून कमाण्डर में से भरे जायेगे, जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को, इस रूप में परिवीक्षा अवधि सहित सात वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो।

(दो) उप खण्ड (एक) के अधीन इंस्पेक्टर सशस्त्र पुलिस के पद पर पदोन्नति के लिए इंस्पेक्टर सशस्त्र पुलिस के निःसंवर्गीय पदों पर पदोन्नत ऐसे उपनिरीक्षक सशस्त्र पुलिस/प्लाटून कमाण्डर भी पात्र होंगे, जो अपेक्षाओं को पूरा करते हों।

टिप्पणी- इंस्पेक्टर सशस्त्र पुलिस के पद पर पदोन्नति के लिए कोई शारीरिक दक्षता परीक्षण नहीं होगा।

## 6. आरक्षण

अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिये आरक्षण सम्बन्धित अधिनियम और समय-समय पर यथासंशोधित उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1993 के उपबंधों और भर्ती के समय प्रवृत्त सरकार के आदेशों के अनुसार किया जायेगा:

परन्तु यह कि शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्ति प्रादेशिक आर्म्ड कान्स्टेबुलरी की सेवाओं के लिये पात्र नहीं होगा:

परन्तु यह और कि राष्ट्रीय/राज्य स्तरीय खिलाड़ियों के लिए आरक्षण तत्समय प्रवृत्त सरकारी आदेशों के अनुसार होगा।

## भाग-4-अर्हताएं

7. राष्ट्रीयता-सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिये यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी:-

(क) भारत का नागरिक हो, या

(ख) तिब्बती शरणार्थी हो, जो भारत में स्थायी निवास के अभिप्राय से पहली जनवरी, 1962 के पूर्व भारत आया हो, या

(ग) भारतीय मूल का ऐसा व्यक्ति हो जिसने भारत में स्थायी निवास के अभिप्राय से पाकिस्तान, वर्मा, श्रीलंका या किसी पूर्वी अफ्रीकी देश केनिया, यूगांडा और यूनाइटेड रिपब्लिक आफ तन्जानिया (पूर्वीवर्ती तांगानिका और जंजीबार) से प्रव्रजन किया हो:

परन्तु यह कि उपर्युक्त श्रेणी (ख) या (ग) के अभ्यर्थी को ऐसा व्यक्ति होना चाहिये जिसके पक्ष में सरकार द्वारा पात्रता का प्रमाण-पत्र जारी किया गया हो:

परन्तु यह और कि श्रेणी (ख) के अभ्यर्थी से यह भी अपेक्षा की जायेगी कि वह पुलिस उपमहानिरीक्षक, अभिसूचना शाखा, उत्तर प्रदेश से पात्रता का प्रमाण-पत्र प्राप्त कर ले:

परन्तु यह भी कि यदि कोई अभ्यर्थी उपर्युक्त श्रेणी “ग” का हो तो पात्रता का प्रमाण-पत्र एक वर्ष से अधिक अवधि के लिये जारी नहीं किया जायेगा और ऐसे अभ्यर्थी को एक वर्ष की अवधि के आगे सेवा में इस शर्त पर रहने दिया जायेगा कि वह भारत की नागरिकता प्राप्त कर ले।

टिप्पणी:- ऐसे अभ्यर्थी को जिसके मामले में पात्रता का प्रमाण-पत्र आवश्यक हो किन्तु वह न तो जारी किया गया हो और न देने से इंकार किया गया हो, किसी परीक्षा या साक्षात्कार में सम्मिलित किया जा सकता है और इसे इस शर्त पर अनन्तिम रूप से नियुक्त भी किया जा सकता है कि आवश्यक प्रमाण-पत्र उसके द्वारा प्राप्त कर लिया जाये या उसके पक्ष में जारी कर दिया जाय।

## 8. शैक्षिक अर्हता

(क) आरक्षी, प्रादेशिक आर्म्ड कान्स्टेबुलरी:-

आरक्षी प्रादेशिक आर्म्ड कान्स्टेबुलरी के पद पर सीधी भर्ती के लिये अभ्यर्थी की शैक्षिक अर्हता वही होगी जो उत्तर प्रदेश पुलिस की आरक्षी की सीधी भर्ती के लिए तत्समय प्रवृत्त नियमों द्वारा विहित की गयी हो।

**(ख) उपनिरीक्षक सशस्त्र पुलिस/प्लाटून कमाण्डर:-**

उपनिरीक्षक सशस्त्र पुलिस/प्लाटून कमाण्डर के पद पर सीधी भर्ती के लिये अभ्यर्थी की शैक्षिक अर्हता वही होगी जो उपनिरीक्षक नागरिक पुलिस की सीधी भर्ती के लिए तत्समय प्रवृत्त नियमों द्वारा विहित की गयी हो।

**9. अधिमानी अर्हताएं-** अन्य बातों के सामान्य होने पर भी सीधी भर्ती के ऐसे अभ्यर्थी को अधिमान दिया जायेगा जिसने:-

(एक) डीओईएसीसी/एनआईईएलटी सोसायटी से कम्प्यूटर में 'ओ' स्तर का प्रमाणपत्र, या

(दो) प्रादेशिक सेना में न्यूनतम दो वर्ष की अवधि तक सेवा की हो, या

(तीन) राष्ट्रीय कैडेट कोर का 'बी' प्रमाण-पत्र प्राप्त किया हो।

टिप्पणी:- उपर्युक्त वर्णित अधिमानी अर्हताओं के कोई अंक नहीं होंगे किन्तु यदि दो या दो से अधिक अभ्यर्थी समान अंक प्राप्त करें तो अधिमानी अर्हता रखने वाले अभ्यर्थी को नियम 15 के उपनियम (1) और (2) के अधीन चयन सूची में अधिमान दिया जाएगा।

**10. आयु**

प्रादेशिक आर्म्ड कान्स्टेबुलरी के अधीनस्थ अधिकारियों के संवर्ग के विभिन्न पदों पर सीधी भर्ती के लिये आयु निम्न प्रकार होनी चाहिये:-

(एक) प्रादेशिक आर्म्ड कान्स्टेबुलरी के आरक्षी के लिए:-

आरक्षी के पद पर भर्ती के लिये यह आवश्यक है कि भर्ती के वर्ष के प्रथम दिन पुरुष अभ्यर्थी की दशा में अभ्यर्थी ने 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो और 22 वर्ष की आयु प्राप्त न की हो और महिला अभ्यर्थी की दशा में उसने 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो और 25 वर्ष की आयु प्राप्त न की हो:

परन्तु यह कि अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और ऐसी अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों की दशा में उच्चतर आयु सीमा उतने वर्ष अधिक होगी जितनी अधिनियम में और बोर्ड द्वारा रिक्तियों की विज्ञप्ति के समय लागू सरकारी आदेशों में विनिर्दिष्ट की जाया

(दो) उपनिरीक्षक सशस्त्र पुलिस /प्लाटून कमाण्डर के लिए:-

जिस कैलेण्डर वर्ष में सीधी भर्ती की रिक्तियाँ प्रकाशित की जायं, भर्ती के वर्ष के प्रथम दिन अभ्यर्थी ने 21 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो और 28 वर्ष से अधिक की आयु पूर्ण न की हो:

परन्तु अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और ऐसी अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों की दशा में उच्चतर आयु सीमा उतने वर्ष अधिक होगी, जितनी अधिनियम में और बोर्ड द्वारा रिक्तियों की विज्ञप्ति के समय लागू सरकारी आदेशों में विनिर्दिष्ट की जाया

**11. चरित्र**

सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिये अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा होना चाहिए कि वह सरकारी सेवा में सेवायोजन के लिए सभी प्रकार से उपयुक्त हो सके। नियुक्ति प्राधिकारी इस सम्बन्ध में अपना समाधान कर लेंगे।

टिप्पणी:- संघ सरकार या किसी राज्य सरकार द्वारा या किसी स्थानीय प्राधिकारी द्वारा या संघ सरकार या किसी राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन किसी निगम या निकाय द्वारा पदच्युत व्यक्ति सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होंगे। नैतिक अधमता के किसी अपराध के लिये दोष सिद्ध व्यक्ति भी पात्र नहीं होंगे।

**12. वैवाहिक प्रास्थिति-**सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिये ऐसे पुरुष/महिला अभ्यर्थी पात्र न होंगे जिनकी एक से अधिक पत्नियां/पति जीवित हो:-

परन्तु यह कि सरकार किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकती है ;दि उसका समाधान हो जाये कि ऐसा करने के लिये विशेष कारण विद्यमान हैं।

**13.शारीरिक स्वस्थता-**किसी अभ्यर्थी को सेवा में किसी पद पर तब तक नियुक्त नहीं किया जायेगा जब तक कि मानसिक और शारीरिक दृष्टि से उसका स्वास्थ्य अच्छा न हो और जब तक कि वह किसी ऐसे शारीरिक दोष से मुक्त न हो जिससे उसे अपने कर्तव्यों का दक्षतापूर्वक पालन करने में बाधा पड़ने की सम्भावना हो। किसी अभ्यर्थी को नियुक्ति के लिये अन्तिम रूप से अनुमोदित किये जाने के पूर्व उससे यह अपेक्षा की जायेगी कि वह चिकित्सा बोर्ड द्वारा की जाने वाली परीक्षा उत्तीर्ण कर ले।

**टिप्पणी:-** चिकित्सा बोर्ड, यथास्थिति पुरुषों और महिलाओं के लिए विहित किसी शारीरिक मानक के लिए अभ्यर्थी का परीक्षण करेगा और नाक-नी, बो-लेग्स, फ्लैट फीट, वेरीकोस वेंस, दूर एवं निकट दृष्टि, आंशिक या पूर्ण कलर ब्लाइंडनेस, श्रवण परीक्षण, जिसमें रिनीज परीक्षण, वेब्सर्स परीक्षण और वर्टिगो परीक्षण वाक् दोष आदि समाविष्ट हैं, तथा ऐसी अन्य कमियों जैसा राज्य सरकार द्वारा समय समय पर अधिसूचित किया जाये, का भी परीक्षण करेगा।

### **भाग-पाँच**

#### **भर्ती की प्रक्रिया**

**14. रिक्तियों का अवधारण-**नियुक्ति प्राधिकारी भर्ती के वर्ष के दौरान भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या और नियम-6 के अधीन अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित की जाने वाली रिक्तियों की भी संख्या अवधारित करेगा और उसकी सूचना विभागाध्यक्ष को देगा। विभागाध्यक्ष रिक्तियों की संख्या बोर्ड और सरकार को भी सूचित करेगा। सीधी भर्ती के लिए रिक्तियाँ, निम्नलिखित रीति से अधिसूचित की जायेंगी:-

(एक) अधिकतम प्रसार वाले दैनिक समाचार पत्र में विज्ञापन जारी करके,

(दो) कार्यालय के सूचना पट्ट पर नोटिस चस्पा करके या रेडियो/दूरदर्शन और अन्य रोजगार समाचार-पत्रों के माध्यम से विज्ञापन द्वारा,

(तीन) रोजगार कार्यालय को रिक्तियाँ अधिसूचित करके; और

(चार) जनसंचार के अन्य माध्यमों द्वारा।

**15.सीधी भर्ती की प्रक्रिया-**प्रादेशिक आर्म्ड कान्स्टेबुलरी में विभिन्न श्रेणियों के पदों पर सीधी भर्ती निम्न प्रकार की जायेगी-

**(1) प्रादेशिक आर्म्ड कान्स्टेबुलरी आरक्षी**

प्रादेशिक आर्म्ड कान्स्टेबुलरी के आरक्षी के पद पर सीधी भर्ती की प्रक्रिया वैसी होगी जैसी उत्तर प्रदेश पुलिस आरक्षी की सीधी भर्ती के लिए तत्समय प्रवृत्त नियमों द्वारा विहित की गयी हो।

**(2) उपनिरीक्षक सशस्त्र पुलिस/प्लाटून कमाण्डर**

प्रादेशिक आर्म्ड कान्स्टेबुलरी के उपनिरीक्षक सशस्त्र पुलिस/प्लाटून कमाण्डर के पद पर सीधी भर्ती की प्रक्रिया वैसी होगी जैसी उपनिरीक्षक, नागरिक पुलिस की सीधी भर्ती के लिए तत्समय प्रवृत्त नियमों द्वारा विहित की गयी हो।

**16.चरित्र सत्यापन-**नियुक्ति पत्र जारी किये जाने से पूर्व नियुक्ति प्राधिकारी के पर्यवेक्षण के अधीन, अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण पर भेजे जाने के पहले, चरित्र सत्यापन का कार्य पूर्ण कराया जायेगा। सामान्यतः चरित्र का सत्यापन एक माह के भीतर पूर्ण कर लिया जायेगा। किसी अभ्यर्थी के चरित्र सत्यापन के दौरान कोई प्रतिकूल तथ्य सामने

आने पर, उसे नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा अनुपयुक्त घोषित किया जायेगा और ऐसी रिक्तियों को अग्रतर चयन के लिए आगे ले जाया जायेगा।

### 17. पदोन्नति की प्रक्रिया

(1) प्रादेशिक आर्म्ड कान्स्टेबुलरी में विभिन्न श्रेणियों के पदों पर पदोन्नति से भर्ती के लिये प्रक्रिया निम्न प्रकार होगी:-

(क) मुख्य आरक्षी, प्रादेशिक आर्म्ड कान्स्टेबुलरी

(एक) मुख्य आरक्षी प्रादेशिक आर्म्ड कान्स्टेबुलरी के स्वीकृत पदों की कुल संख्या के सौ प्रतिशत पद अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर बोर्ड द्वारा पदोन्नति के माध्यम से मौलिक रूप से नियुक्त प्रादेशिक आर्म्ड कान्स्टेबुलरी के ऐसे आरक्षियों में से भरे जायेगे, जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को परिवीक्षा अवधि को सम्मिलित करते हुए इस रूप में सात वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो।

(दो) उप खण्ड(एक) के अधीन मुख्य आरक्षी प्रादेशिक आर्म्ड कान्स्टेबुलरी के पद पर पदोन्नति के लिए मुख्य आरक्षी प्रादेशिक आर्म्ड कान्स्टेबुलरी के निःसंवर्गीय पदों पर पदोन्नत प्रादेशिक आर्म्ड कान्स्टेबुलरी के ऐसे आरक्षी भी पात्र होंगे, जो अपेक्षाओं को पूरा करते हों,

(ख) उपनिरीक्षक सशस्त्र पुलिस/प्लाटून कमाण्डर

(एक) उपनिरीक्षक सशस्त्र पुलिस/प्लाटून कमाण्डर के स्वीकृत पदों की कुल संख्या के 50 प्रतिशत पद अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए अर्हकारी प्रकृति के शारीरिक दक्षता परीक्षण सहित ज्येष्ठता के आधार पर पदोन्नति के माध्यम से भर्ती द्वारा मौलिक रूप से नियुक्त प्रादेशिक आर्म्ड कान्स्टेबुलरी के विभिन्न बटालियनों, जिला पुलिस और पुलिस विभाग की अन्य शाखाओं के ऐसे मुख्य आरक्षी सशस्त्र पुलिस एवं मुख्य आरक्षी प्रादेशिक आर्म्ड कान्स्टेबुलरी में से भरे जायेगे, जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को, इस रूप में परिवीक्षा अवधि सहित 03 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो।

(दो) उप खण्ड (एक) के अधीन सब-इंस्पेक्टर सशस्त्र पुलिस/प्लाटून कमाण्डर के पद पर पदोन्नति के लिए प्लाटून कमाण्डर/उपनिरीक्षक सशस्त्र पुलिस के निःसंवर्गीय पदों पर पदोन्नत ऐसे मुख्य आरक्षी प्रादेशिक आर्म्ड कान्स्टेबुलरी/मुख्य आरक्षी सशस्त्र पुलिस भी पात्र होंगे, जो अपेक्षाओं को पूरा करते हों।

टिप्पणी- शारीरिक दक्षता परीक्षण की प्रक्रिया ऐसी होगी, जैसा परिशिष्ट में उल्लिखित है।

(ग) निरीक्षक सशस्त्र पुलिस

(एक) निरीक्षक सशस्त्र पुलिस के स्वीकृत पदों की कुल संख्या के सौ प्रतिशत पद अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर बोर्ड द्वारा पदोन्नति के माध्यम से भर्ती द्वारा मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे सब इंस्पेक्टरों सशस्त्र पुलिस/प्लाटून कमाण्डर में से भरे जायेगे, जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को, इस रूप में परिवीक्षा अवधि सहित सात वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो।

(दो) उप खण्ड (एक) के अधीन इन्सपेक्टर सशस्त्र पुलिस के पद पर पदोन्नति के लिए इन्सपेक्टर सशस्त्र पुलिस के निःसंवर्गीय पदों पर पदोन्नत ऐसे उपनिरीक्षक सशस्त्र पुलिस/प्लाटून कमाण्डर भी पात्र होंगे, जो अपेक्षाओं को पूरा करते हों।

(2)(क) बोर्ड द्वारा गठित चयन समिति की संस्तुतियों के आधार पर पदोन्नति की जायेगी।

(ख) समिति का अध्यक्ष बोर्ड द्वारा नामित किया जायेगा जो सम्बन्धित पदोन्नत पद के नियुक्ति प्राधिकारी से निम्न स्तर का अधिकारी न होगा। समिति के सदस्य विद्यमान शासनादेशों के अनुसार बोर्ड द्वारा नामित किये जायेंगे।

(ग) निर्विवाद ज्येष्ठता सूची प्रादेशिक आर्म्ड कान्स्टेबुलरी मुख्यालय द्वारा बोर्ड को उपलब्ध करायी जायेगी।



(घ) चयन समिति पदोन्नति हेतु उपयुक्त पाये गये अभ्यर्थियों की सूची अपनी संस्तुति सहित बोर्ड को प्रस्तुत करेगी। बोर्ड चयनित अभ्यर्थियों की सूची अपनी संस्तुति सहित विभागाध्यक्ष को प्रस्तुत करेगा। सूची विज्ञापित रिक्तियों से अधिक की नहीं होगी।

(ड.) विभागाध्यक्ष के अनुमोदन के उपरान्त सूची पदोन्नति हेतु अन्तिम आदेश जारी करने के लिए नियुक्ति प्राधिकारी को प्रेषित की जायेगी।

(च) चयन सूची विभागाध्यक्ष के अनुमोदनोपरान्त बोर्ड द्वारा अपनी तथा उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर प्रदर्शित की जायेगी।

#### भाग - छ:

#### नियुक्ति, प्रशिक्षण, परिवीक्षा, स्थायीकरण, और ज्येष्ठता

#### 18.नियुक्ति

(1) नियम-15 एवं नियम-16 के उपबन्धों के अधीन रहते हुये नियुक्ति प्राधिकारी, अभ्यर्थियों के नामों को उसी क्रम में लेकर, जिसमें वे नियम-15 के अधीन तैयार की गयी सूची में हों, नियुक्ति करेगा। नियुक्ति प्राधिकारी अभ्यर्थियों को इस निर्देश के साथ नियुक्ति पत्र जारी करेगा कि चयनित अभ्यर्थी एक माह के भीतर या पत्र में दिये गये निर्देशों के अनुसार सेवा/प्रशिक्षण के लिये उपस्थित हो जायेंगे। निर्देशानुसार सेवा/प्रशिक्षण में उपस्थित न होने की दशा में उनके चयन/नियुक्ति को निरस्त कर दिया जायेगा:

परन्तु यह कि इस नियमावली के प्रारम्भ के पूर्व से सेवा में किसी पद पर मौलिक रूप से नियुक्त और कार्यरत किसी व्यक्ति को इस नियमावली के अधीन मौलिक रूप से नियुक्त किया समझा जायेगा।

(2) नियम-17 के अन्तर्गत यदि किसी एक चयन के संबंध में नियुक्ति के एक से अधिक आदेश जारी किये जायें तो, एक सम्मिलित आदेश भी जारी किया जायेगा, जिसमें यथा स्थिति, चयन में यथा अवधारित या जैसा कि उस संवर्ग में हो, जिस संवर्ग से उन्हें पदोन्नति किया गया हो, ज्येष्ठता क्रम में व्यक्तियों के नामों का उल्लेख होगा:

परन्तु यह कि इस नियमावली के प्रारम्भ होने के पूर्व सेवा में किसी पद पर नियुक्त और उक्त पद पर कार्यरत किसी व्यक्ति को इस नियमावली के अधीन मौलिक रूप से नियुक्त हुआ समझा जायेगा और ऐसी मौलिक नियुक्ति को इस नियमावली के अधीन की गयी नियुक्ति समझी जायेगी।

#### 19.प्रशिक्षण

(1)(क) नियम-15 और 16 के अधीन अन्तिम रूप से चयनित अभ्यर्थियों से विभागाध्यक्ष द्वारा निर्धारित किये गये प्रशिक्षण को उत्तीर्ण करने की अपेक्षा की जायेगी। बेसिक प्रशिक्षण की अवधि में कैडेटों पर पी0टी0सी0 मैनुअल में निहित प्रावधान प्रभावी होंगे। बेसिक प्रशिक्षण हेतु अन्तिम रूप से चयनित अभ्यर्थी यदि निर्धारित समय सीमा के अन्दर प्रशिक्षण में उपस्थित नहीं होता है तो उसका चयन/अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा।

(ख) बेसिक प्रशिक्षण में असफल हुए कैडेटों का विभागाध्यक्ष द्वारा पूरक प्रशिक्षण कराकर उनके पुनः परीक्षा का आयोजन किया जायेगा। पूरक प्रशिक्षण में असफल पाये गये अभ्यर्थियों की सेवा समाप्त करने की कार्यवाही नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा की जायेगी।

(2) नियम-17 के अधीन पदोन्नति द्वारा नियुक्त किये गये अभ्यर्थियों से विभागाध्यक्ष द्वारा निर्धारित प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूर्ण करने की अपेक्षा की जायेगी।

#### 20.परिवीक्षा

(1) सेवा में किसी पद पर मौलिक रूप से नियुक्त व्यक्ति को दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर रखा जाएगा।

(2) परिवीक्षा अवधि के दौरान परिवीक्षाधीन व्यक्ति से ऐसा प्रशिक्षण प्राप्त करने की अपेक्षा की जाएगी जैसा कि विभागाध्यक्ष द्वारा विहित किया जाये।

(3) नियुक्ति प्राधिकारी ऐसे कारणों से, जो अभिलिखित किये जाएंगे अलग-अलग मामलों में परिवीक्षा अवधि को बढ़ा सकता है जिसमें ऐसा दिनांक विनिर्दिष्ट किया जाएगा जब तक अवधि बढ़ाई जाय।

परन्तु आपवादिक परिस्थितियों के सिवाय परिवीक्षा अवधि एक वर्ष से अधिक और किसी भी परिस्थिति में दो वर्ष से अधिक नहीं बढ़ायी जायेगी।

(4) यदि परिवीक्षा अवधि या बढ़ायी गयी परिवीक्षा अवधि के दौरान किसी भी समय या उसके अन्त में नियुक्ति प्राधिकारी को यह प्रतीत हो कि परिवीक्षाधीन व्यक्ति ने बढ़ायी गयी परिवीक्षा अवधि के दौरान नियुक्ति प्राधिकारी के संतोषानुसार अपने अवसर का पर्याप्त उपयोग नहीं किया है तो उसे उसके मौलिक पद पर, यदि कोई हो, प्रत्यावर्तित किया जा सकता है और यदि उसका किसी पद पर धारणाधिकार न हो, तो उसकी सेवायें समाप्त की जा सकती हैं।

(5) ऐसा परिवीक्षाधीन व्यक्ति, जिसे उपनियम (4) के अधीन प्रत्यावर्तित किया जाये या जिसकी सेवायें समाप्त की जायें, किसी प्रतिकर का हकदार नहीं होगा।

(6) नियुक्ति प्राधिकारी सेवा के संवर्ग में सम्मिलित किसी पद पर या किसी अन्य समकक्ष या उच्च पद पर स्थानापन्न या अस्थायी रूप में की गयी निरन्तर सेवा को परिवीक्षा अवधि की संगणना करने के प्रयोजनार्थ गिने जाने की अनुमति दे सकता है।

स्थायीकरण 21.(1) नियम 20 के उपबन्धों के अधीन रहते हुए किसी परिवीक्षाधीन व्यक्ति को परिवीक्षा अवधि या बढ़ाई गयी परिवीक्षा अवधि के अन्त में उसकी नियुक्ति में स्थायी कर दिया जायेगा; यदि:

(क) उसके द्वारा विहित प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूर्ण कर लिया गया हो, और

(ख) उसका कार्य और आचरण संतोषजनक पाया गया हो, और

(ग) उसकी सत्यनिष्ठा प्रमाणित की गयी हो।

(2) जहाँ उत्तर प्रदेश राज्य के सरकारी सेवकों की स्थायीकरण नियमावली 1991 के उपबन्धों के अनुसार स्थायीकरण आवश्यक नहीं है वहाँ उस नियमावली के नियम-5 के उप नियम (3) के अधीन यह घोषणा करते हुए आदेश को कि संबंधित व्यक्ति ने परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली है, स्थायीकरण का आदेश समझा जायेगा।

**22.ज्येष्ठता (1) दिनांक 02.12.2008 के पूर्व भर्ती कर्मियों की ज्येष्ठता का अवधारण**

**(क) आरक्षी पीएसी**

एकल चयन के माध्यम से नियुक्त समस्त आरक्षियों के पद की ज्येष्ठता नियुक्ति के पश्चात् प्रशिक्षण संस्थानों में प्रशिक्षण में उनके द्वारा प्राप्त अंकों के आधार पर अवधारित की जायेगी।

नोट- पदोन्नति के विचारण क्षेत्र में आने वाले समस्त आरक्षियों के प्रशिक्षण में प्राप्त अंक न उपलब्ध होने पर उनकी ज्येष्ठता निम्नलिखित रीति के अनुसार अवधारित की जाएगी:-

(1) भर्ती की तिथि के अनुसार।

(2) भर्ती की तिथि समान हो तो उनकी जन्मतिथि के अनुसार।

(3) यदि एक से अधिक आरक्षियों की आरक्षी के पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि एवं जन्मतिथि भी समान है तो हाई स्कूल प्रमाण-पत्र में अंकित नामों के अंग्रेजी वर्णमाला के क्रमानुसार अवधारित की जायेगी।

**(ख) मुख्य आरक्षी पीएसी**

(1) मुख्य आरक्षी प्रादेशिक आर्म्ड कान्स्टेबुलरी/सशस्त्र पुलिस की ज्येष्ठता उनके मुख्य आरक्षी के रूप में पदभार ग्रहण करने की तिथि से अवधारित की जायेगी।

(2) यदि एक से अधिक मुख्य आरक्षियों के पदभार ग्रहण करने की तिथि समान हो, तो आरक्षी के पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि के अनुसार वरिष्ठता निर्धारित की जायेगी।

(3) यदि एक से अधिक मुख्य आरक्षियों की मुख्य आरक्षी के पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि एवं आरक्षी के पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि समान हो, तो जन्मतिथि के आधार पर ज्येष्ठता अवधारित की जायेगी।

(4) यदि एक से अधिक मुख्य आरक्षियों की मुख्य आरक्षी के पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि, आरक्षी के पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि एवं जन्मतिथि भी समान है तो हाई स्कूल प्रमाण-पत्र में अंकित नामों के अंग्रेजी वर्णमाला के क्रमानुसार ज्येष्ठता अवधारित की जायेगी।

#### **(ग) प्लाटून कमाण्डर/उपनिरीक्षक सशस्त्र पुलिस**

(1) किसी भी प्रकार से भर्ती किये गये ऐसे प्लाटून कमाण्डर/उपनिरीक्षक सशस्त्र पुलिस जिन्होंने एक साथ प्रशिक्षण प्राप्त किया हो, की पारस्परिक ज्येष्ठता प्रशिक्षण संस्थानों में प्राप्त अंकों के प्रतिशत के अनुसार चकानुक्रम में (प्रथम स्थान पदोन्नत व्यक्ति) होगी।

(2) पूरक प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले किसी भी प्रकार से भर्ती किये गये ऐसे प्लाटून कमाण्डर/उपनिरीक्षक सशस्त्र पुलिस की ज्येष्ठता उस प्रशिक्षण सत्र के अभ्यर्थियों के बाद में उनके द्वारा प्राप्त अंकों के प्रतिशत के अनुसार अवधारित होगी।

#### **(घ) दलनायक**

पदोन्नति के माध्यम से नियुक्त किये गये समस्त दलनायकों की पारस्परिक ज्येष्ठता उनके द्वारा रिजर्व सब इंस्पेक्टर कोर्स में प्राप्त अंकों के प्रतिशत के अनुसार अवधारित की जायेगी।

(ड.) विभाग द्वारा किसी विशेष प्रकरण में पूर्व अवधारित की गयी नीति के अनुसार ज्येष्ठता का अवधारण यथावत् बना रहेगा।

(2) दिनांक 02.12.2008 के पश्चात भर्ती कर्मियों की ज्येष्ठता का अवधारण

(1) किसी भी प्रकार के चयन से नियुक्त किये गये कर्मियों की वरिष्ठता उनके चयन की तिथि से निर्धारित की जायेगी। यहाँ चयन की तिथि का तात्पर्य भर्ती प्रक्रिया के उपरान्त बोर्ड अथवा चयन समिति द्वारा भेजी गयी चयन सूची को विभागाध्यक्ष द्वारा अनुमोदित किये जाने की तिथि से है।

(2) बोर्ड द्वारा सीधी भर्ती के माध्यम से भर्ती कर्मियों के चयन को एक पृथक चयन माना जायेगा। सीधी भर्ती के अन्तर्गत एकल चयन के माध्यम से भर्ती कर्मियों की पारस्परिक वरिष्ठता बोर्ड द्वारा निर्गत अन्तिम चयन सूची के क्रम के अनुसार होगी।

(3) मृतक आश्रित श्रेणी के अन्तर्गत भर्ती कर्मियों एवं उत्तर प्रदेश नागरिक पुलिस/प्रादेशिक आर्म्ड कान्स्टेबुलरी में कुशल खिलाड़ियों की भर्ती, पदोन्नति प्रक्रिया नियमावली-2011 के अन्तर्गत भर्ती कर्मियों के चयन को एक सीधी भर्ती का पृथक चयन माना जायेगा। इस प्रकार से भर्ती कर्मियों की पारस्परिक ज्येष्ठता प्रशिक्षण संस्थानों में चयन के पश्चात प्रशिक्षण में उनके द्वारा प्राप्त अंकों के प्रतिशत के अनुसार अवधारित होगी। एक प्रशिक्षण सत्र में एक से अधिक अभ्यर्थियों के प्रशिक्षण संस्थानों में प्राप्त अंकों के प्रतिशत के समान होने पर उनकी जन्मतिथि की वरिष्ठता को ही पारस्परिक वरिष्ठता अवधारण का आधार बनाया जायेगा। अंकों का प्रतिशत एवं जन्मतिथि समान होने पर हाई स्कूल प्रमाण-पत्र में अंकित नामों के अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम के अनुसार ज्येष्ठता अवधारित की जायेगी।

(4) पदोन्नति के माध्यम से नियुक्त कर्मियों की ज्येष्ठता उनके चयन की तिथि के आधार पर अवधारित की जायेगी। एक ही चयन तिथि में नियुक्त किये गये कर्मियों की पारस्परिक ज्येष्ठता उनके पोषक सवर्ग में वरिष्ठता के अनुरूप होगी तथा पूर्ववर्ती वर्ष में चयनित कर्मी पश्चात्पूर्वी वर्ष में चयनित कर्मियों से ज्येष्ठ होंगे। यहाँ चयन की तिथि का तात्पर्य भर्ती प्रक्रिया के उपरान्त बोर्ड अथवा चयन समिति द्वारा भेजी गयी चयन सूची को विभागाध्यक्ष द्वारा अनुमोदित किये जाने की तिथि से है।

(3) उपरोक्त के होते हुए भी यदि ज्येष्ठता के सम्बन्ध में कोई नए तथ्य प्रकाश में आते हैं अथवा कोई विवाद उत्पन्न होता है, तो उसका निवारण विभागाध्यक्ष द्वारा तर्कसंगत नीति के अनुसार किया जायेगा।

### भाग-7- वेतन

#### 23. वेतनमान

(1) सेवा में विभिन्न श्रेणियों के पदों पर नियुक्त व्यक्तियों का अनुमन्य वेतनमान ऐसा होगा जैसा सरकार द्वारा समय समय पर अवधारित किया जाय।

(2) उत्तर प्रदेश प्रादेशिक आर्म्ड कान्स्टेबुलरी अधीनस्थ अधिकारी सेवा नियमावली-2015 के प्रारम्भ होने के समय वेतनमान निम्नवत होगा;

पद का नाम	पे-बैण्ड का नाम	तत्समान पे बैण्ड (रू0)	तत्समान ग्रेड पे (रू0)
आरक्षी	पे बैण्ड-1	रू0 5200-20200	रू0 2000
मुख्य आरक्षी	पे बैण्ड-1	रू0 5200-20200	रू0 2400
उपनिरीक्षक सशस्त्र पुलिस/ प्लाटून कमाण्डर	पे बैण्ड-2	रू0 9300-34800	रू0 4200
निरीक्षक सशस्त्र पुलिस	पे बैण्ड-2	रू0 9300-34800	रू0 4600

#### 24. परिवीक्षा अवधि में वेतन

(1) फण्डामेंटल रूल्स में किसी प्रतिकूल उपबन्ध के होते हुए भी, परिवीक्षाधीन व्यक्ति को, यदि वह पहले से स्थायी सरकारी सेवा में न हो, समयमान में उसकी प्रथम वेतनवृद्धि तभी दी जायेगी जब उसने एक वर्ष की संतोषजनक सेवा पूरी कर ली हो तथा विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण कर लिया हो एवं प्रशिक्षण पूर्ण कर लिया हो, और द्वितीय वेतन वृद्धि दो वर्ष की सेवा के पश्चात तभी दी जायेगी जब उसने परिवीक्षा अवधि पूरी कर ली हो और उसे स्थायी भी कर दिया गया हो:

परन्तु यह कि यदि संतोष प्रदान न कर सकने के कारण परिवीक्षा अवधि बढ़ायी जाय तो इस प्रकार बढ़ायी गयी अवधि की गणना वेतनवृद्धि के लिए नहीं की जायेगी जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी अन्यथा निर्देश न दें।

(2) ऐसे व्यक्ति का जो पहले से सरकार के अधीन कोई पद धारण कर रहा हो, परिवीक्षा अवधि में वेतन, सुसंगत फण्डामेंटल रूल्स द्वारा विनियमित होगा:

परन्तु यह कि यदि संतोष प्रदान न कर सकने के कारण परिवीक्षा अवधि बढ़ायी जाय तो इस प्रकार बढ़ायी गयी अवधि की गणना वेतनवृद्धि के लिए नहीं की जायेगी जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी अन्यथा निर्देश न दें।

(3) ऐसे व्यक्ति का जो पहले से स्थायी सरकारी सेवा में हो, परिवीक्षा अवधि में वेतन राज्य के कार्यकलाप के सम्बन्ध में सेवार्त् सरकारी सेवकों पर सामान्यतया लागू सुसंगत नियमों द्वारा विनियमित होगा।

#### 25. स्थानान्तरण

(1) क्वार्टर मास्टर, कम्पनी कमाण्डर, प्लाटून कमाण्डरों, मुख्य आरक्षियों और आरक्षियों और उनके अन्य समकक्ष पदों पर तैनात कर्मियों को सरकार द्वारा गठित प्रादेशिक आर्म्ड कान्स्टेबुलरी स्थापना बोर्ड के

आदेश द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रादेशिक आर्म्ड कान्स्टेबुलरी के अन्तर्गत स्थानान्तरित या तैनात किया जा सकता है।

(2) रिजर्व इंस्पेक्टर, निरीक्षक सशस्त्र पुलिस, यातायात निरीक्षक, उपनिरीक्षक सशस्त्र पुलिस का चयन पूर्व प्रचलित प्रक्रिया एवं मानदण्ड के अनुसार किया जायेगा। इन संवर्गों का स्थानान्तरण या तैनाती सरकार द्वारा गठित पुलिस स्थापना बोर्ड के आदेश द्वारा जिलों/इकाईयों/प्रादेशिक आर्म्ड कान्स्टेबुलरी में की जायेगी।

(3) यातायात उप निरीक्षक का चयन यातायात निदेशालय द्वारा किया जायेगा और स्थानान्तरण या तैनाती यातायात निदेशालय द्वारा जिलों/ इकाईयों/प्रादेशिक आर्म्ड कान्स्टेबुलरी में किया जायेगा।

(4) इस नियमावली के प्रारंभ के समय प्रादेशिक आर्म्ड कान्स्टेबुलरी के प्रवर अधीनस्थ अधिकारियों के समकक्ष पंक्ति के पदों के नाम निम्नवत हैं :-

#### **निरीक्षक सशस्त्र पुलिस**

(क) प्रादेशिक आर्म्ड कान्स्टेबुलरी में 'कंपनी कमान्डर

(ख) प्रादेशिक आर्म्ड कान्स्टेबुलरी में 'क्वार्टर मास्टर'

(ग) जिलों, प्रशिक्षण संस्थानों, जी0आर0पी0 और अन्य इकाईयों में 'रिजर्व इंस्पेक्टर'/'निरीक्षक सशस्त्र पुलिस'

(घ) जिलों में 'यातायात निरीक्षक'

#### **उपनिरीक्षक सशस्त्र पुलिस**

(क) प्रादेशिक आर्म्ड कान्स्टेबुलरी में 'प्लाटून कमाण्डर'

(ख) प्रादेशिक आर्म्ड कान्स्टेबुलरी में 'सूबेदार एडजूटेन्ट'

(ग) प्रादेशिक आर्म्ड कान्स्टेबुलरी में 'सूबेदार क्वार्टर मास्टर'

(घ) जिलों, प्रशिक्षण संस्थानों, जी0आर0पी0 तथा अन्य इकाईयों में 'उपनिरीक्षक सशस्त्र पुलिस'

(ड.) जिलों में 'यातायात उपनिरीक्षक'।

#### **भाग-8 अन्य उपबन्ध**

#### **26.पक्ष समर्थन**

किसी पद पर या सेवा में लागू नियमों के अधीन अपेक्षित सिफारिशों से भिन्न किन्हीं सिफारिशों पर, चाहे लिखित हों या मौखिक, विचार नहीं किया जायेगा। किसी अभ्यर्थी की ओर से अपनी अभ्यर्थिता के लिये प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन प्राप्त करने का कोई प्रयास उसे नियुक्ति के लिए अनर्ह कर देगा।

#### **27.अन्य विषयों का विनियमन**

ऐसे विषयों के सम्बन्ध में जो विनिर्दिष्ट रूप से इस नियमावली या नियमों, विनियमों एवं आदेशों के उपबन्धों के अन्तर्गत न आते हों, सेवा में नियुक्त व्यक्ति यथास्थिति पुलिस अधिनियम/प्रादेशिक आर्म्ड कान्स्टेबुलरी अधिनियम के अन्तर्गत बनाये गये अन्य उपबन्धों, विनियमों और आदेशों के अनुसार शासित होंगे।

#### **28.सेवा की शर्तों में शिथिलता**

जहां राज्य सरकार का यह समाधान हो जाय कि सेवा में नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की शर्तों को विनियमित करने वाले किसी नियम के प्रवर्तन से किसी विशिष्ट मामले में असम्यक् कठिनाई होती है, वहाँ वह उस मामले में लागू नियमों में से किसी बात के होते हुये भी, आदेश द्वारा उस नियम की अपेक्षाओं को उस सीमा तक और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुये, जिन्हें वह मामले में न्यायसंगत और साम्यपूर्ण रीति से कार्यवाही करने के लिए आवश्यक समझे, अभिमुक्त या शिथिल कर सकती है।

#### **29.व्यावृत्ति**

इस नियमावली में किसी बात का कोई प्रभाव ऐसे आरक्षण और अन्य रियायतों पर नहीं पड़ेगा, जिनका इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा समय समय पर जारी किये गये अधिनियमों और आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य विशेष श्रेणियों के व्यक्तियों के लिए उपबन्ध किया जाना अपेक्षित हो।

### **30.अध्यारोही प्रभाव**

(1) राज्य सरकार द्वारा बनाई गई किसी अन्य नियमावली या जारी किये गये शासनादेश या प्रशासनिक अनुदेशों में किसी बात के प्रतिकूल होते हुये भी, इस नियमावली के उपबन्ध प्रभावी होंगे।

(2) चयन, पदोन्नति, प्रशिक्षण, नियुक्ति, ज्येष्ठता निर्धारण और स्थायीकरण आदि से संबंधित या उनसे आनुषंगिक विषयों के सम्बन्ध में समय-समय पर जारी किये गये शासनादेश विखण्डित हो जायेंगे।

(3) ऐसे विखण्डन के होते हुये भी, प्रचलित नियमावली, शासनादेशों या प्रशासनिक अनुदेशों, जो इस नियमावली से असंगत न हो, के अधीन स्वीकृत चयन, पदोन्नति, प्रशिक्षण, नियुक्ति, ज्येष्ठता निर्धारण और स्थायीकरण आदि की प्रसुविधा इस नियमावली के अधीन स्वीकृत की गयी समझी जायेगी।

आज्ञा से,  
(देबाशीष पण्डा)  
प्रमुख सचिव

**परिशिष्ट**  
**(नियम-17(1)(ख) देखें)**

**उपनिरीक्षक सशस्त्र पुलिस/प्लाटून कमाण्डर के पद पर पदोन्नति हेतु शारीरिक दक्षता परीक्षण**

1- शारीरिक दक्षता परीक्षण का संचालन बोर्ड द्वारा गठित एक दल द्वारा किया जायेगा जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे:-

(एक) बोर्ड द्वारा नाम-निर्दिष्ट एक अपर पुलिस अधीक्षक।

(दो) जनपद के मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा नाम-निर्दिष्ट एक चिकित्सा अधिकारी।

विद्यमान शासनादेशों के अनुसार अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक व अन्य किसी श्रेणी, जिसका प्रतिनिधित्व उपरोक्त दल में आवश्यक हो, के प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करने हेतु बोर्ड द्वारा उपरोक्त दल में उचित स्तर के अतिरिक्त अधिकारियों को सदस्य के रूप में रखा जायेगा।

परीक्षा का संचालन करने के लिये यह दल किसी अन्य विशेषज्ञ/विशेषज्ञों की सहायता ले सकता है।

2- शारीरिक दक्षता परीक्षा केवल अर्हकारी प्रकृति की होगी। शारीरिक दक्षता परीक्षा में सफल होने के लिये पुरुष अभ्यर्थियों को 3.2 कि०मी० की दौड़ 35 मिनट में पूरा करना आवश्यक होगा।

टिप्पणी:- समय की संगणना निकटतम सेकेण्ड तक की जायेगी।

3- दल द्वारा मैनुअल टाइमिंग प्रयोग किये जाने की अनुमति नहीं होगी। सी०सी०टी०वी० कवरेज सहित मानकीकृत इलेक्ट्रॉनिक टाइमिंग उपकरण और पर्याप्त बैकअप के साथ बायोमैट्रिक्स का प्रयोग यथार्थता व पारदर्शिता सुनिश्चित करने एवं वेषपरिवर्तन से बचने के लिये किया जायेगा।

4- दल नीचे दी गयी प्रक्रिया का पालन करेगा:-

(क) बोर्ड द्वारा प्रतिदिन परीक्षण कराये जाने वाले अभ्यर्थियों की संख्या का अवधारण किया जायेगा और उनका विनिश्चय परीक्षण कराये जाने वालों की कुल संख्या एवं विद्यमान दशाओं पर आधारित होगा।

(ख) अर्हता के लिये इस परिशिष्ट के खण्ड 2 में न्यूनतम शारीरिक दक्षता मानकों की सूचना परीक्षण स्थल पर सूचना पट्ट पर प्रदर्शित की जायेगी।

(ग) इस परीक्षण का परिणाम परीक्षण स्थल पर सूचना पट्ट पर दिन की समाप्ति पर प्रदर्शित किया जायेगा और यदि सम्भव हुआ तो यथा शीघ्र बोर्ड की वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जायेगा।

(घ) संगठनात्मक दल, जिसमें परीक्षण अभिकरण यदि कोई हो, भी सम्मिलित है, के ऐसे सदस्य जो जानबूझ कर ऐसा कार्य करते हैं जो गलत हो या किसी ऐसे कार्य को नहीं करते हैं जो उन्हें करना चाहिए और जिससे किसी अभ्यर्थी को अनुचित लाभ पहुँचता हो या उसका अहित होता हो, तो वे दण्डित कार्यवाही और/या आवश्यक विभागीय कार्यवाही के भागी होंगे।

(ङ) शारीरिक दक्षता परीक्षण का परिणाम अभ्यर्थियों को उसी दिन उपलब्ध कराया जायेगा। सफल अभ्यर्थियों की सूची टीम के सदस्यों के संयुक्त हस्ताक्षर से घोषित की जायेगी।

(च) बहिर्कक्ष परीक्षण इस प्रकार किये जायेंगे कि परिणामों का मूल्यांकन किया जा सके और उन्हें बिना किसी हस्तगत मध्यक्षेप के यांत्रिक रूप से अभिलिखित किया जा सके। शारीरिक दक्षता परीक्षण के लिये केवल भारतीय मानक संस्थान प्रमाणन वाले मानकीकृत उपकरणों का ही प्रयोग किया जायेगा।

(छ) अभ्यर्थियों से यह अपेक्षा की जायेगी कि वे दिये गये दिनांक और समय पर उपस्थित हों। ऐसे कारणों से जो उनके नियंत्रण के परे हों और जो लिखित रूप में अभिलिखित किये जायेंगे, किसी विशिष्ट समय पर परीक्षण किये जाने वाले अभ्यर्थियों के समूह हेतु परीक्षण के दिनांक एवं समय में बोर्ड द्वारा परिवर्तन किया जा सकता है।

यदि कोई अभ्यर्थी नियत दिनांक पर परीक्षा में सम्मिलित होने में विफल रहता है तो उसे परीक्षा में असफल माना जायेगा। परीक्षा में सम्मिलित न होने के कारण अथवा विहित मानक प्राप्त न कर सकने के कारण असफल हो जाने वाले अभ्यर्थी को दूसरा मौका नहीं दिया जायेगा और स्वास्थ्य के कारण या किसी अन्य आधार पर चाहे जो भी हो, पुनः परीक्षण के लिये कोई अपील नहीं की जा सकेगी।

टिप्पणी:- समस्त वीडियो अभिलेखों को विशेष रूप से गोपनीय रखा जायेगा और अभिलेख को सुरक्षित अभिरक्षा में रखा जायेगा तथा किसी न्यायालय द्वारा मांग किये जाने पर या किसी जाँच अधिकारी को बोर्ड की अनुमति से उपलब्ध कराया जायेगा।